

पत्र संख्या : 7ब/4701 यो०ज०सं०-02/2012 / 65

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, देवघर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : 8-1-13

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-74-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180796740545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।


महाशय,


वित्तीय वर्ष 2012-2013 में बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को परिशिष्ट-2 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-


क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	8
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना/74-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,	05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180796740545	81.60946


अतिरिक्त आवंटित राशि — ₹ एक्यासी लाख साठ हजार नौ सौ छियालीस मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2012-13 के बजट उपबंध रु. 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-2, पर वर्णित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता


(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव






ज्ञापांक :- 165 रॉची, दिनांक :- 8-1-13
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.— हिन्डू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/देवघर/जामताड़ा/मधुपुर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 165 रॉची, दिनांक :- 8-1-13
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख —I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।

(सुरेश प्रसाद भगत) (जयप्रकाश भट्टाचार्या) (सुबोध कुमार सिन्हा) (बी. सी. निगम) (एस० के० शतपथी)
 सहायक अभियंता उप सचिव (अभि.) संयुक्त सचिव (अभि.) विशेष सचिव प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक.....165.....

दिनांक8-1-13.....

का अनुलनक

परिशिष्ट -1

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजी परियय,
उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,
लाघु शीर्ष -796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोगना,
उप शीर्ष-74-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,
शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोर्ड- 49P470180796740545
वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट उपबंध 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2012 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन				अभ्युक्ति
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	सिंचाई प्रमण्डल, सिकटिया	देवधर	अजय बराज योजना	35184.5196	37 / 06-07 प्र०स्वी० दिनांक-22.03.07	33192.5112	38.66000	5.65946	44.31946	अतिरिक्त आवंटन	
2	सिंचाई प्रमण्डल, सं०-2, सिकटिया						144.18000	7.00000	151.18000	परिशिष्ट 2 में पर वर्णित कार्यो हेतु	
3	सिंचाई प्रमण्डल, जामताड़ा						57.18000	68.95000	126.14000		
कुल योग							240.03000	81.60946	321.63946		
अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ एक्यासी लाख साठ हजार नौ सौ छियालीस मात्र।											

9164

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता

92

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

उप सचिव (अभि०)

93

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि०)

94

(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव

95

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव

पत्रांक :- 168

दिनांक 8-1-13

का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 2

विपत्र कोर्ड- 49P470180796740545

(लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	एकराशनामा सं०/लिखि	पूर्व का आबंटन	अतिरिक्त आबंटन	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सिंचाई प्रमण्डल, सिकटिया	अजय बराज योजना	Inauguration of Ajay Barrage, Sikatia		5.00000	0.00000	5.00000	
			Land Acquisition		11.90000	0.00000	11.90000	
			R/M of D.G. Set Ajay Barrage, Sikatia, I.V., I.B and Provision of Seasonal Labours		3.00000	5.65946	8.65946	
			R/M of Control Room Ajay Barrage, Sikatia		2.00000	0.00000	2.00000	
			Payment of Wages of Seasonal Labours		16.76000	0.00000	16.76000	
			योग		38.66000	5.65946	44.31946	
			Strengthening of AMC from Ch. 108.00 to Ch. 398,	ISBD01	111.25000	0.00000	111.25000	
			Strengthening of AMC from Ch. 401.00 to Ch. 406.00,	2F2/2011-12	7.50000	0.00000	7.50000	
			Strengthening of AMC from Ch. 406.00 to Ch. 409.00,	3F2/2011-12	14.35000	0.00000	14.35000	
			Strengthening of AMC from Ch. 431.00 to Ch. 434.00,	4F2/2011-12	6.12000	0.00000	6.12000	
2	सिंचाई प्रमण्डल, सं०-2, सिकटिया	अजय बराज योजना	Construction of wing wall at S.I.R Bridge at Ch. 37.50 of AMC	5F2/2011-12	0.46000	0.00000	0.46000	
			Construction of PCC Cause way on service road from Ch. 36.00 of Ch. 38.00	6F2/2011-12	0.25000	0.00000	0.25000	
			R/M of I.V		1.00000	0.00000	1.00000	
			R/M of I.B. at Madhupur		0.25000	0.00000	0.25000	
			Provision of Demarcation / boundary / pillar of both sides of banks from Ch. 0.00 to Ch. 460.00 of AMC and writing Ch. of every structure and T.B.M.		3.00000	0.00000	3.00000	
			R/M of Ajay Main Canal from Ch. 0.00 to 460.00 including seasonal labours for Canal running		0.00000	2.00000	2.00000	
			R/M of Irrigation Colony, Madhupur including water supply, Motor Pump, Electricity, Repair Maintenance of Quarters & Raising of Compound Wall		0.00000	3.00000	3.00000	
			R/M of Service road from Ch. 0.00 of Ch. 460.00 of A.M.C		0.00000	2.00000	2.00000	
			योग		144.18000	7.00000	151.18000	



(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता



(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

उप सचिव (अभि.)



(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)



(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव



(एस० के० शस्तुरी)

प्रधान सचिव

पत्रांक :- 165

दिनांक 8-1-13

का अनुमनक

परिशिष्ट - 2

विपत्र कोर्ड- 49P470180796740545

(लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	एकराशनामा सं०/तिथि	पूर्व का आबंटन	अतिरिक्त आबंटन	आवंटित राशि	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	सिंचाई प्रमण्डल, जामताड़ा	अजय बराज योजना	F - C.D works						
			(i) Repair of C.D. structures at ch. 592, 971, 1042, 1204.70, 1282 of Ajay Main canal.	12F2-2011/12	13.97000	0.00000	13.97000		
			(ii) Repair of C.D. structures at ch. 1343,1355, 1367, 1390, 1415 & 1445 of Ajay Main canal.	11F2-2011/12	15.73000	0.00000	15.73000		
			(iii) Repair of C.D structures from ch. 460.00 to 1700.00 of AMC		5.00000	0.00000	5.00000		
			G - Bridges						
			(i) Residual work of bridge at ch. 1468.	10F2-2010/11	6.11000	0.00000	6.11000		
			(ii) Residual work of bridge at ch. 1685.	1F2-2010/11	6.38000	0.00000	6.38000		
			Repair of H/R, C/R Escape gates of Ajay Main Canal.		5.00000	0.00000	5.00000		
			(i) Emergent repair of breaches and seasonal labour payment during irrigation period		2.00000	0.00000	2.00000		
			(ii) R/M of two nos.Insp.Vehicle						
			(ii) R/M of Two nos. of Inspection vehicles. (Division & Circle offices)						
			(iii) R/M of Residential & office building (Division & Circle Office) premises & Allied works						
			Supply & Fixing of bounding Pillar from ch. 460.00 to Ch. 1700.00 and Marking of Chainage & TBM on Structures.		3.00000	0.00000	3.00000		
			Residual E/W in bed of Ajay main canal (Ch. 460.00 to 1700.00)		0.00000	68.95000	68.95000		
योग					57.19000	68.95000	126.14000		
सकल योग					240.03000	81.60946	321.63946		
अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ एक्यासी लाख साठ हजार नौ सौ छियालीस मात्र।									

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव

11.11.13

11.11.13

11.11.13

11.11.13

11.11.13